झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0)—पाकुड़ / PDS—19 / 2022— 555

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 28.06.2022

विषयः— **आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर दिनांक—09.06.2022 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा बाजार के दुर्गा मंदिर टोले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निकट स्थित निजी गोदाम से कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध गेहूँ अन्यत्र भेजे जाने का उल्लेख किया गया था।

इस सम्बन्ध में कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक— WA/152 / 2022 दिनांक—16.06.2022 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को पत्र प्रेषित किया गया था एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ को भी भेजी गई थी।

उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा इसकी जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़पाड़ा से कराई गई एवं पत्रांक—799 दिनांक—16.06.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त मामले में सम्बन्धित शिकायत—पत्र की प्रति एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx152

Date 21/06/2022 7764003999 WA/152/2022 (8)

704

पाकुड़ समाहरणालय

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक– 799 / जि0आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

पाकुड़, दिनांक– 16/06/22

विषय :– आयोग के WhatsApp No. पर प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक–WA / 152 / 2022, दिनांक–16.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है आयोग के WhatsApp No. पर प्राप्त शिकायत एवं अधोहस्ताक्षरी के WhatsApp पर प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा से जाँच कराई गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा के पत्रांक–387 / वि0, दिनांक–10.06.2022 द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जाँच प्रतिवेदन की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

विभाग को भेजने हेतु संचिका में उपस्थापित करें।
22.6.22

473
21.06.22

प्रा०सं० – 805/ 12/6/

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा।

पत्रांक 387 / वि०,

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
अमड़ापाड़ा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

अमड़ापाड़ा, दिनांक 10/6/2022

विषय :– अमड़ापाड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर टोला में दिनांक 08.06.2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर पाये गये गेहूँ के संबंध में जाँच प्रतिवेदन के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 09.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचल निरीक्षक अमड़ापाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच की गई। जाँचोपरान्त प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त (2 पेज)

विश्वासभाजन

10/06/2022

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
अमड़ापाड़ा।

6

कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा।

दिनांक 08/06/2022 को जिम्मानामा में सुरक्षित रखे गेहूं संबंधी जांच प्रतिवेदन।

जांच की तिथि - 09/06/2022
जांच का समय - 9AM से 10.15AM

दिनांक 08/06/2022 को सुबह 10.15 बजे मोबाइल पर प्राप्त सूचना कि पीडीएस के गेहूं की कालाबाजारी के उद्देश्य से अमड़ापाड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर टोला के पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट एक घर स्थित गोदाम से पिकअप वाहन संख्या जेएच16जी 9540 द्वारा बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। उक्त सूचना पर प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमड़ापाड़ा को तत्काल मौके पर भेजा गया। प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच एवं वाहन में उपस्थित लोगों से पूछताछ के बाद प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन में लगभग एक सौ बोरा गेहूं लोड है, जो उमेश कुमार भगत, अमड़ापाड़ा वाले ने लोड कराया है। प्रतिवेदनानुसार उमेश कुमार भगत ने बताया कि यह गेहूं उनके एवं अन्य के द्वारा खरीदी गई है, जिसे बाहर भेजा जा रहा है। उमेश कुमार भगत द्वारा अनाज की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करने का उल्लेख भी प्रतिवेदन में है। वाहन में लदे हुए अनाज गेहूं को जिम्मानामा में देकर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया।

पुनः अधोहस्ताक्षरी एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मामले की विस्तृत जांच हेतु अगले दिन दिनांक 09/06/2022 को पूर्वाहन 9.00 बजे दुर्गा मंदिर टोला स्थित निजी गोदाम जहां गेहूं को जिम्मानामा के तहत सुरक्षित रखा गया है एवं उमेश कुमार भगत का दुकान जहां अनाज की खरीद-बिक्री की जाती है एवं पास ही स्थित दो अन्य दुकान जहां अनाज की खरीद-बिक्री की जाती है, का भी आवश्यक पूछताछ एवं जांच किया गया। उक्त निजी गोदाम में सुरक्षित रखा गया एक सौ बोरा गेहूं जूट के पुराना बोरे में जो हाथ से सिलाई किया पाया गया। बोरा पुराना है एवं अलग-अलग प्रकार के जूट के बोरे, जिसका उपयोग धान बीज, दाल, एफसीआई के चावल-गेंहू, मटर, मसूर, कुछ प्लास्टिक के खाद रखने वाला बोरा आदि प्रतीत होता है। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों की उपस्थिति में उमेश कुमार भगत के अनाज खरीद-बिक्री दुकान (स्थानीय बोली अनुसार 'गोला') का भी जांच किया गया। जांच के समय दुकान में धान की खरीद करते पाया गया एवं एक कमरे में महुआ व दो प्लास्टिक के बोरे में गेहूं, चार बोरा खेसारी, मसूर तीन बोरा, मक्का एक बोरा, बरबट्टी चार बोरा, चावल दो बोरा एवं एक कमरा धान से भरा हुआ पाया गया। उमेश कुमार भगत द्वारा बताया गया कि अनाज खरीद बिक्री हमारा पुश्तैनी पेशा है। आसपास के किसान एवं ग्रामीण धान, गेहूं, महुआ, कोचड़ा(महुआ बीज), खेसारी, बरबट्टी, चावल, गेहूं, इमली, मसूर, कुरथी आदि जो भी लाते हैं, उसकी खरीद-बिक्री की जाती है। राशन की कालाबाजारी की बात पूरी तरह बेबुनियाद है। जिम्मेनामा में सुरक्षित अनाज गेहूं मेरा एवं अन्य दो लोगों 1. कार्तिक पंडित 2.